

Order Sheet [Contd]

Case No 213/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
24.06.2017	<p>आवेदक/अभियुक्तगण मुजीम खॉ एवं राकेश की ओर से श्री सुवोद श्रीवास्तव अधिवक्ता।</p> <p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।</p> <p>आरक्षीकेन्द्र मौ जिला भिण्ड से अप0क0 123/17 धारा 457, 380 भा.द. वि की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से अधि. श्री सुवोद श्रीवास्तव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि आवेदकगण के विरुद्ध पुलिस थाना मौ के द्वारा झूठा अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से उनका कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदकगण लगभग 20 दिन से अभिरक्षा में है। वहे अपने परिवार में कमाने वाला एक मात्र सदस्य हैं। आवेदकगण जमानत की समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। अतः आवेदकगण को उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि आवेदकगण को झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण लम्बे समय से न्यायिक अभिरक्षा में है और इसी आधार पर जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>दिनांक 18.05.2017 को फरियादी के द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि रात्रि में उसके आंगन में बंधे दो बकरों में से एक बकरा एवं टी0व्ही0 तथा टिल्लूपम्प कोई चोरी कर ले गया है। साथ ही फरियादी द्वारा आवेदकगण पर संदेह होना व्यक्त किया था। प्रकरण में आवेदक/अभियुक्तगण से चोरी की गई वस्तुएं जप्त की जा चुकी है। शेष अनुसंधान हेतु पुलिस प्रतिवेदन में आवेदकगण/अभियुक्तगण की आवश्यकता नहीं दर्शाई है। आवेदक/अभियुक्तगण दिनांक 19.05.2017 से न्यायिक निरोध में है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है एवं आरोपित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है।</p>	

अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदकगण प्रत्येक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र स्वीकार कर आदेश किया जाता है कि यदि आवेदकगण प्रत्येक की ओर से संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 25,000/- 25,000/- रूपए की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो उन्हें जमानत पर छोड़ा जाए।

शर्तें—

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगे।
 2. इस प्रकार का कोई अन्य अपराध नहीं करेगे।
 3. साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगे।
- आदेश की प्रति संबंधित क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।
- आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।
- प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद
जिला— भिण्ड म0प्र0